भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 468
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में विधि आयोग की सिफारिश

468. श्री सुशील कुमार सिंह :

श्री पी. पी. चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार का विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने का विचार है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि न्यायाधीशों को उन अदालतों में नियुक्त नहीं किया जाए जहां उनके सगे संबंधी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उन न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय-वार संख्या कितनी है, जहां उनके सगे संबंधी पहले न्यायपालिका में थे;

(घ) राजस्थान सहित देश भर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों की राज्य-वार संख्या कितनी है ; और

(ङ) क्या भारत के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 124, 217 और 224 के अधीन की जाती है और तारीख 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय (तृतीय न्यायाधीश मामला) के साथ पठित उसके तारीख 6 अक्तूबर, 1993 के निर्णय (द्वितीय न्यायाधीश मामला) के अनुसरण में वर्ष 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त की जाती है । उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विद्यमान प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह रिक्ति के उत्पन्न होने से कम से कम छह माह पहले उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए प्रस्ताव भेंजे । मुख्य न्यायमूर्ति, अपनी सिफारिश भेजने से पहले, प्रस्तावित नामों की उपयुक्तता के संबंध में बेंच के दो ज्येष्ठतम सहकर्मियों से परामर्श करेंगे । सरकार केवल उन्हीं व्यक्तियों को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती है जिनकी उच्चतम न्यायालय

कॉलेजियम द्वारा सिफारिश की जाती है । उन न्यायाधीशों के आंकड़े जिनके मित्र और रिश्तेदार पूर्व में न्यायपालिका में रहे हैं, उच्च न्यायालय-वार नहीं रखे जाते है ।

(घ) और (ङ) : देश के उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की रिक्तियों के ब्यौरे **उपाबंध-क** पर दिए गए है ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना कार्यपालिका और न्यायापालिका के मध्य एक सतत, एकीकृत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । इसमें राज्य और केन्द्रीय दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करना और उनका अनुमोदन अपेक्षित होता है । सरकार को नियमित अन्तरालों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किए गए नाम प्राप्त होते है, जिन पर प्रक्रिया ज्ञापन के उपबंधों के अनुसार आवश्यक अनुमोदन के लिए कार्यवाही की जाती है । यद्यपि, विद्यमान रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या उन्नयन तथा न्यायाधीशों की पद संख्या में वृद्धि, के कारण उद्‌भूत होती रहती है ।

****

उपाबंध-क

उच्च न्यायालयों में स्वीकृत संख्या, कार्यरत संख्या और रिक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण (तारीख 05.12.2022 तक)

		स्वीकृत संख्या			कार्यरत संख्या			रिक्तियों की संख्या		
क्र.सं.	**उच्च न्यायालय**	**स्थायी**	**अतिरिक्त**	**कुल**	**स्थायी**	**अतिरिक्त**	**कुल**	**स्थायी**	**अतिरिक्त**	**कुल**
1	इलाहाबाद	119	41	160	77	23	100	42	18	60
2	आन्ध्र प्रदेश	28	9	37	27	3	30	1	6	7
3	बाम्बे	71	23	94	40	26	66	31	-3	28
4	कलकत्ता	54	18	72	35	19	54	19	-1	18
5	छत्तीसगढ़	17	5	22	8	6	14	9	-1	8
6	दिल्ली	46	14	60	44	1	45	2	13	15
7	गुवाहाटी	18	6	24	16	8	24	2	-2	0
8	गुजरात	39	13	52	28	0	28	11	13	24
9	हिमाचल प्रदेश	13	4	17	10	0	10	3	4	7
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	4	17	11	4	15	2	0	2
11	झारखंड	20	5	25	20	1	21	0	4	4
12	कर्नाटक	47	15	62	40	9	49	7	6	13
13	केरल	35	12	47	28	9	37	7	3	10
14	मध्य प्रदेश	39	14	53	31	0	31	8	14	22
15	मद्रास	56	19	75	44	10	54	12	9	21
16	मणिपुर	4	1	5	3	0	3	1	1	2
17	मेघालय	3	1	4	3	0	3	0	1	1
18	उड़ीसा	24	9	33	22	0	22	2	9	11
19	पटना	40	13	53	34	0	34	6	13	19
20	पंजाब और हरियाणा	64	21	85	39	27	66	25	-6	19
21	राजस्थान	38	12	50	26	0	26	12	12	24
22	सिक्किम	3	0	3	3	0	3	0	0	0
23	तेलंगाना	32	10	42	31	2	33	1	8	9
24	त्रिपुरा	4	1	5	3	0	3	1	1	2
25	उत्तराखंड	9	2	11	7	0	7	2	2	4
	कुल	**836**	**272**	**1108**	**630**	**148**	**778**	**206**	**124**	**330**

****